(87)

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA (stamps)

01- श्री कुलीन दुबे उम्र 69 वर्ष, पेशा-खेती ।

02- श्रीरामपती दुबे, उम्र 60 वर्ष, पेशा-खेती, व पेंशनर पिसरान विन्ध्येश्वरी प्रसाद दुबे दोनो निवासी, ग्राम दुलगवां, तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0) --------- आवेदकगण

रिवीजु 1527-III/2006

बनाम

01- श्री कौशल प्रसाद, उम्र 55वर्ष, पेशा-खेती व नौकरी,

02- श्रीरमाकांत उम्र 48 वर्ष पेशा-खेती दोनो के पिता श्री शोभनाथ मिश्रा दोनो निवासी, ग्राम सोनवर्षा, तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0) --अनावेदकगण

अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

आवेदन-पत्र बाबत किये जाने पुनर्विलोकन श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/7/06 जो निगरानी प्रकरण, नि०- अर०-1014 II 2006 में पारित किया गया है, अन्तर्गत धारा- 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता ।

पुनर्विलोकन प्रकरण आवेदनपत्र बाबत स्थगित किये जाने अधीनस्थ न्यायालयों का पालन व प्रभाव इस प्रकरण के निराकरण तक के लिये अन्तर्गत धारा-52म0प्र0भू-रा0 सं0 ।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

(01) यहाँ आवेदक आज ही पुनर्विलोकन प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें सफल होने की पूरी सम्भावना है।

(02) यह कि आवेदकगणों की विवादित भूमि नं0- 730/2 रकबा 0.30 हे0, ग्राम दिदुरी तहसील-सिरमौर में मौके से फसल बोकर काबिज है जिसे बेदखल किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1527–तीन/06 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1014–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 13–7–2006 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (के0सी0 जैन) सदस्य	